

:-आदेश:-

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1315/11-2012-30(5)/2011 दिनांक 12-12-2012 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता / पति का नाम श्री/श्रीमती/कु0	वर्तमान तैनाती / जोन का नाम
01	02	03	04
1.	2685	मो0वसीम रजा / सैय्यद मोहम्मद सलीम	मेरठ
2.	2686	नीरज कुमार विश्‍नोई / संतोष सिंह	मुरादाबाद
3.	2687	शशि कुमार / बाबू राम	नोएडा
4.	2688	महेन्द्र कुमार / लक्ष्मण प्रसाद	कानपुर
5.	2689	प्रकाश शर्मा / पीताम्बर दत्त शर्मा	नोएडा
6.	2690	सतेन्द्र प्रताप सिंह / रक्षपाल सिंह	नोएडा
7.	2691	राहुल सिंह / जसवन्त सिंह	गाजियाबाद
8.	2692	सुनील कुमार शर्मा / जनार्दन प्रसाद शर्मा	मुजफ्फरनगर
9.	2693	अविनाश चन्द्र शुक्ला / राजेश नारायण शुक्ला	गाजियाबाद
10.	2694	हुस्ना बानो / मो0अमीन	मऊ
11.	2700	मोहित कौशिक / नीरज कौशिक	बागपत

- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन/कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 06-07-2022 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 08-07-2022 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये।
- संबन्धित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस आदि निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई0ओ0डब्ल्यू0 जाँच चल रही हो, तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।



(सुधा वर्मा)


अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोयडा), कानपुर, गाजियाबाद जोन प्रथम/द्वितीय, सहारनपुर, वाराणसी जोन प्रथम/द्वितीय।
- 3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोयडा), कानपुर, गाजियाबाद सम्भाग ए/बी, सहारनपुर, वाराणसी सम्भाग ए/बी।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आईटी) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोयडा), कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।


(पी0एन0यादव)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।